बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

आदेश

का0आ0सं0–EST-1680/8/2025-SEC_6–...../–श्री गोपाल कुमार मंडल, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, किशनगंज द्वारा दिनांक–19.09.2024, 16.10.2024, 15.11.2024, 02.12.2024, 08.01.2025, 22.01.2025 एवं दिनांक–23.01.2025 को पत्रों के माध्यम से श्री तेजस्वी यादव पूर्व उपमुख्यमंत्री के निजी सहायक श्री सरवन कुमार के द्वारा आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक/विभागीय सचिव/मुख्य सचिव बिहार, पटना को ईमेल द्वारा श्री मंडल की माँ की चिकित्सा कटिहार मेडिकल कॉलेज में होने के कारण उनका स्थानांतरण जिला निबंधन कार्यालय, कटिहार करने का अनुरोध किया गया, जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं0–1589 दिनांक–26.12.1990 के द्वारा दिये गये निदेश तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–22 का स्पष्टतः उल्लंघन एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम –3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल है।

2. उक्त के आलोक में श्री गोपाल कुमार मंडल से विभागीय पत्रांक–1836 दिनांक–07.04.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री मंडल द्वारा अपना स्पष्टीकरण जिला निबंधन कार्यालय, किशनगंज के माध्यम से समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया गया कि उनकी माँ, जो वृद्धा अवस्था से गुजर रही है, वो अक्सर बीमार रहती है, उनका हार्ट का ईलाज पूर्णिया से चल रहा है। ऐसे में उनका पदस्थापन गृह जिला से लगभग 85 किलो मीटर दूर हो जाने के कारण वे अपने परिवार से दूर हो गये हैं, तथा अपनी माँ का देखभाल तथा चिकित्सीय परामर्श कराने में असमर्थ रहते थे, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव पर रहा था। इन कारणों से उनके द्वारा गृह जिला के निकट में स्थानांतरण करने हेतु दो अभ्यावेदन जिला अवर निबंधक, अररिया के माध्यम द्वारा विभाग से अनुरोध किया गया।

3. श्री गोपाल कुमार मंडल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री मंडल द्वारा बाह्य व्यक्ति से स्थानांतरण हेतु बारम्बार विभागीय पदाधिकारी पर दवाब डलवाय गया किन्तु उन्होंने बाह्य व्यक्ति से स्थानांतरण हेतु सिफारिश करने एवं प्रभाव डालने के आरोप के संबंध में उनके द्वारा समर्पित अपने बचाव बयान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही अपने बचाव बयान में कोई ऐसा साक्ष्य या अभिलेख ससंलग्न किया है, जबकि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं0–1589 दिनांक–26.12.1990 में दिये गये निदेश तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–22 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कोई सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित किसी विषयों के संबंध में अपने हितसाधन के लिए किसी उच्चतर पदाधिकारी पर कोई राजनीतिक अथवा अन्य बाहरी प्रभाव न डालेगा और न डालने की कोशिश करेगा, जिसका अनुपालन आरोपी कर्मी द्वारा नहीं किया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा सम्यक समीक्षोपरान्त श्री गोपाल कुमार मंडल, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, किशनगंज के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं0–1589 दिनांक–26.12.1990 के द्वारा दिये गये निदेश तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) एवं 22 का उल्लंघन एवं सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करने के लिये बिहार सरकारी

(1)

सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा के अधीन लघु दण्ड के रूप में निन्दन (आरोप वर्ष 2024–25) का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– EST-1680/8/2025-SEC_6 –2660/– पटना, दिनांक– 22.05.25

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, किशनगंज/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पुर्णिया प्रमण्डल, पुर्णिया/कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/जिला निबंधन कार्यालय, किशनगंज/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री गोपाल कुमार मंडल, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।